न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/122ए/2016

वउनवान

1. पुनिया पुत्री यादराम पत्नी रामदयाल जाति अहीर निवासी बडौदाकान तहसील कठूमर हालवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर

------ डिक्रीदार

बनाम

1. हाकिम पुत्र यादराम जाति अहीर (मृतक)

1/1. कपूर पुत्र हाकिम जाति अहीर निवासी बडौदाकान

1/2. जगदीश पुत्र हाकिम जाति अहीर निवासी बडौदाकान

1/3. विमला पुत्री हाकिम पत्नी रामसिंह निवासी जांगरू

2. प्रहलाद पुत्र यादराम जाति अहीर (मृतक)

2/1.भयामवती वेवा प्रहलाद जाति अहीर (मृतक)

2/2.रामा पुत्री प्रहलाद जाति अहीर निवासी बडौदाकान

2/3.रूकमणी पुत्री प्रहलाद जाति अहीर निवासी बडौदाकान

2/4.गजेन्द्र पुत्र प्रहलाद जाति अहीर नाबा0

2/5.रामराज पुत्र प्रहलाद जाति अहीर नाबा0

नाबालिगान जरिये सपरस्त माता श्यामवती वेवा प्रहलाद माता

3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

----- असल मदयूनान

4. रामप्यारी वेवा यादरांम जाति अहीर निवासी बडौदाकान

5. कमला पुत्री यादराम पत्नी जगनलाल जाति अहीर निवासी बडौदाकान हालवासी निवासी ठेकडी तहसील कठूमर

---- तर0 प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

उपखण्ड अधिकारी

श्री गिरधारीलाल भार्मा एडवोकेट : वकील वादिया

निर्णय

दिनांक 10.05.2018

वादिया द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 5 वीघा 7 विस्वा 427 रकवा 7 वीघा 10 विस्वा 430 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा 431 रकवा 6 विस्वा 561 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा 562 रकवा 2 वीघा 4 विस्वा 1432 रकवा 5 वीघा 12 विस्वा ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर में स्थित है। वादिया एंव प्रतिवादीगण, तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। यादराम की पहली शादी सम्पत्ति के साथ हुई थी जिसके एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 हाकिम पैदा हुआ। उसके वाद सम्पति फौत हो गई। तव यादराम ने तर0प्रति0सं04 रामप्यारी नाम की औरत से भादी कर ली। जिसके प्रतिवादी संख्या 2 प्रहलाद तथा तरतीवी प्रतिवादनी संख्या 5 वो वादिया पैदा हुई। इस प्रकार यादराम के पांच वारिस क्रम ाः वादिया पुनिया पुत्र प्रतिवादी संख्या 1–2 तथा वेवा रामप्यारी तर0प्रति0सं04 वो एक पुत्री कमला तर0प्रति05 है। विवादित आराजी वादिया वो प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता यादराम की पैदा कर्दा आराजी है। वादिया मृतक यादराम के हिस्से की आराजी के 1/5 हिस्से पर काविज रहकर का त करती चली आ रही है। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में मृतक यादराम के नाम खातेदारी के इन्द्राज दर्ज है। वादिया के पिता यादराम के फौत होने पर प्रतिवादीगण ने खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से कब्जा एंव मौका के विपरीत यादराम का विरासत इन्तकाल संख्या 37 अपने नाम स्वीकार करा लिया। जवकि पटवारी हल्का को प्रतिवादीगण के साथ साथ ही मृतक यादराम के अन्य वारिस वादिया वो तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम भी वहिस्सा बराबर इन्तकाल में दर्ज करना चाहिए था। इस प्रकार हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम वहिस्सा बराबर दर्ज इन्द्राज गलत हैं। जो इन्तकाल संख्या 37 हक हकूक वादिया प्रारम्भ से ही शून्य गलत एंव प्रभावहीन है। जिसे शून्य घोशित किया जावे। जिस इन्तकाल संख्या 37 के आधार पर उसके वाद बनी जमाबन्दी में मृतक यादराम की आराजी पर प्रतिवादीगण का नाम वहिस्सा बराबर दर्ज चला आ रहा है जो गलत है जवकि विवादित आराजी में वादिया

उपखण्ड अधिकारी

का 1/5 हिस्सा है। गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण वादिया व तरतीवी प्रतिवादनीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करती है व प्रतिवादी संख्या 3 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादिया ने विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा की घोशणा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने की इस्तदुआ की है।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने वादिया के तथ्यों का विरोध करते हुये अपना जवाव दावा पेश किया। प्रतिवादीगण व उनके वकील दिनांक 14.12.2015 को हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

वादिया ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2028 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श–2 नकल इन्तकाल संख्या 37 प्रदर्श 3 वाके ग्राम बडौदाकान व निर्वाचान नामावली भाग संख्या 118 सन् 1970 प्रदर्श 4 सत्य प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादिया ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादिया पुनिया पी डब्ल्यू 1, गवाह भौंरया पी डब्ल्यू 2, गवाह रमेश पी डब्ल्यू 3 गवाह निहालसिंह पी डब्ल्यू 4 के वयान लेखवद्व कराये है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

वादिया के दावा व प्रतिवादीगण के जवाव दावा के आधार पर वाद में कुल 4 तनकियां कायम की गई।

तनकी संख्या 1– इस प्रकार से है कि आया वादिया मृतक यादराम की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 426, 427, 430, 431, 561, 562, 1432 वाके ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर में 1/5 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादिया पर है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि वादिया मृतक यादराम की सगी पुत्री है इस वजह से वादिया मृतक यादराम की आराजी में अपने 1/5 हिस्सा की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। मृतक यादराम का इन्तकाल संख्या 37 वादिया को विना सुने व मृतक यादराम के सभी वारिसान की जांच किये विना

स्वीकार किया गया है। हाल राजस्व रेकार्ड गलत है। विवादित आराजी मे वादिया का 1/5 हिस्सा की खातेदारी दर्ज की जावे। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाहान पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 के वयानों का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन किया।

मुताविक जमाबन्दी ग्राम बडौदाकान संवत् 2028 में विवादित आराजी के खसरा नम्बरान यादराम बल्द नारायण जाति अहीर सा0 देह खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी प्रदर्श 2 संवत् 2056 से 2059 में विवादित आराजी हाकमसिह, प्रहलाद पि0 यादराम स0भाग अहीर सा0 देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 2 निर्वाचक नामावली 1971 भाग संख्या 118 ग्राम बडौदाकान की क्रमांक 280 से 286 में यादराम/नारायण, रामप्यारी/यादराम, हाकम/यादराम, किस्तूरी/ हाकम, मीरा/बृजलाल, जलसिंह/ यादराम, रामवती जलसिंह दर्ज है। प्रदर्श 3 इन्तकाल संख्या 37 मृतक यादराम का विरासत इन्तकाल है जिसमें यादराम की विरासत हाकम व प्रहलाद के नाम दर्ज की गयी है। वादिया द्वारा दावा के पैरा संख्या 2 में दर्शित सजरा के अनुसार यादराम की दो पत्नी सम्पति व रामप्यारी है। सम्पत्ति के एक पुत्र हाकम है। रामप्यारी के जलसिंह, प्रहलाद पुत्र पुनिया व कमला पुत्री वारिस है तथा जलसिंह व प्रहलाद फौत हो गये प्रहलाद के वारिस भयामवती वेवा, रामा, रूकमणी, गजेन्द्र व रामराज है। यह निर्विवाद है कि यादराम की दो शादी सम्पत्ति व रामप्यारी के साथ हुई थी। सम्पत्ति से हाकम पैदा हुआ। प्रतिवादीगण ने अपने जवाव दावा के पैरा संख्या 2 में वादिया को यादराम की संतान होने से इन्कार किया है तथा तरतीवी प्रतिवादनी अपनी ससुराल में रहती है तथा प्रतिवादनी संख्या 4 जलसिंह की माता है उसका भरण पोषण जलसिंह करता है। जवकि जवाव के पैरा संख्या 4 में यह अंकित किया है कि वादिया की भाादी प्रतिवादीगण के पिता यादराम ने की थी भाादी में काफी जर जेवर देना व एक लाख रूपया शादी में खर्च करना कथन किया है जो प्रतिवादीगण का विरोधाभाशी कथन है। प्रतिवादीगण ने वादिया की शादी पिता यादराम द्वारा करना स्वीकार किया किया है। वादिया मृतक यादराम की पुत्री नहीं हो इस तरह का प्रतिवादीगण ने कोई ठौस दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है। प्रतिवादीगण ने जवाव दावा पशे किया है लेकिन इसके वाद प्रतिवादीगण व उनके वकील हाजिर नहीं हुये।

cnck
अधिकारी

इससे प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति प्रकट होती है। गवाह वादिया को यादराम की पुत्री होना व विवादित आराजी के 1/5 हिस्से पर वादिया का लगातार कब्जा होना कथन करते है। इन्तकाल संख्या 37 वाके ग्राम बडौदाकान यादराम के सभी वारिसान की जांच किये विना ही केवल दो पुत्र हाकम व प्रहलाद के नाम स्वीकार किया गया है जो गलत प्रतीत होता है। वादिया विवादित आराजी में अपने 1/5 हिस्सा की घोषणा कराने की अधिकारी है। अतः यह तनकी वहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2– इस प्रकार से है कि आया वादिया आराजी खसरा नम्बर 426, 427, 430, 431, 561, 562, 1432 वाके ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर में 1/5 हिस्सा के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारिणी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादिया पर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से वादिया विवादित आराजी में 1/5 हिस्सा की खातेदारी की घोशणा कराने की अधिकारणी पाई गई है। अतः वादिया प्रतिवादीगण को अपने हिस्से तक स्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारणी है। अतः यह तनकी वहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 इस प्रकार से है कि आया वादिया मृतक यादराम की विधिक पुत्री नहीं है जिस कारण उक्त आराजी में वादिया 1/5 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारिणी नहीं है। इस तनकी को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने अपना जवाव दावा पेश किया जिसमें वादिया की शादी करना भात पेज देना स्वीकार किया है। इस प्रकार वादिया यादराम की सगी पुत्री है। लेकिन प्रतिवादीगण दौराने ट्रायल मुकदमा हाजिर होनें में असमर्थ रहे जिस कारण उनके विरूद्व एकक्षिय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सवूत पेश नहीं किया जिससे यह माना जावे कि वादिया मृतक यादराम की पुत्री नहीं है। चूँकि तनकी संख्या 1–2 के विस्तृत विवेचन से वादिया मृतक यादराम की पुत्री व विधिक वारिस सावित हो चुंकी है। प्रतिवादीगण इस तनकी को सावित करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादिया निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 – दादरसी की है तनकी संख्या 1 ला03 वहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। प्रतिवादीगण किसी तरह की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादिया अपने वाद को सावित करने में सफल रही है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाह वादिया के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादिया की वहस पर मनन करने पर वादिया का वाद सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादिया एकपक्षिय रूप से डिक्री किया जाकर वादिया को आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 5 वीघा 7 विस्वा 427 रकवा 7 वीघा 10 विस्वा 430 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा 431 रकवा 6 विस्वा 561 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा 562 रकवा 2 वीघा 4 विस्वा 1432 रकवा 5 वीघा 12 विस्वा ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर हाल राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम वादिया के हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार नवीन अंकन करें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादिया को उक्त आराजी में 1/5 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा व व्यवधान पैदा ना करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 10.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 2/122ए/2016

वउनवान

1. पुनियाप पुत्री यादराम पत्नी रामदयाल जाति अहीर निवासी बडौदाकान तहसील कठूमर हालवासी सीकरी तहसील नगर जिला भरतपुर

------ वादिया

बनाम

1. हाकिम पुत्र यादराम जाति अहीर (मृतक)

1/1. कपूर पुत्र हाकिम जाति अहीर निवासी बडौदाकान

1/2. जगदीश पुत्र हाकिम जाति अहीर निवासी बडौदाकान

1/3. विमला पुत्री हाकिम पत्नी रामसिंह निवासी जांगरू

2. प्रहलाद पुत्र यादराम जाति अहीर (मृतक)

2/1.भयामवती वेवा प्रहलाद जाति अहीर (मृतक)

2/2.रामा पुत्री प्रहलाद जाति अहीर निवासी बडौदाकान

2/3.रूकमणी पुत्री प्रहलाद जाति अहीर निवासी बडौदाकान

2/4.गजेन्द्र पुत्र प्रहलाद जाति अहीर नाबा0

2/5.रामराज पुत्र प्रहलाद जाति अहीर नाबा0 नाबालिगान जरिये सपरस्त माता भयामवती वेवा प्रहलाद माता

3. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

----- असल प्रतिवादीगण

4. रामप्यारी वेवा यादराम जाति अहीर निवासी बडौदाकान

5. कमला पुत्री यादराम पत्नी जगनलाल जाति अहीर निवासी बडौदाकान हालवासी निवासी ठेकडी तहसील कठूमर

तर0प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुकमइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादिया एकपक्षिय रूप से डिक्री किया जाकर वादिया को आराजी खसरा नम्बर 426 रकवा 5 वीघा 7 विस्वा 427 रकवा 7 वीघा 10 विस्वा 430 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा 431 रकवा 6 विस्वा 561 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा 562 रकवा 2 वीघा 4 विस्वा 1432 रकवा 5 वीघा 12 विस्वा ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर के 1/5 हिस्से का खातेदार का तकार घोशित किया जाकर हाल राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम वादिया के हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार नवीन अंकन करें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो वादिया को उक्त आराजी में 1/5 हिस्सा के कब्जे का त में बाधा व व्यवधान पैदा ना करें।

आज दिनांक 10.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)